

पत्रांक :-.....75...../पी०पी०ओ०

बिहार पुलिस मुख्यालय
(संचार प्रभाग)

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक (वितंतु),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 23/02/2023

विषय :- अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2022-23/पी०पी०ओ० के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2022-23/पी०पी०ओ० की प्रतियाँ भेजते हुये अनुरोध है कि इसे राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रमुख सामाचार पत्रों में (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाये। साथ ही पी०आर०डी० वेबसाईट तथा बिहार पुलिस विभाग के वेबसाईट पर भी प्रसारित करने की कृपा की जाये।

अनु० :- यथोपरि।

विश्वासभाजन

23.2.23

पुलिस अधीक्षक (वितंतु),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक (प्रोविजन), बिहार पटना को सूचनार्थ कृपया। संलग्न विज्ञापन सूचना को प्रकाशनार्थ संबंधित शाखा को निदेशित करने की कृपा की जाये।
2. आई०टी० मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना को सूचनार्थ कृपया। कृपया संलग्न विज्ञापन सूचना को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजने तथा पुलिस विभाग के वेबसाईट [bihar police.bih.nic.in](http://bihar.police.bih.nic.in) पर भी प्रसारित किया जाये।

23.2.23

पुलिस अधीक्षक, (वितंतु)
बिहार, पटना।

e

बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, बेली रोड, पटना
अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 01/2022-23/पी0पी0ओ0

1. विभाग का नाम:- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता:- पुलिस अधीक्षक (वितंतु), बिहार, पटना।
बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, सरदार पटेल भवन
'ई' ब्लॉक, छठी मंजिल, कमरा नम्बर-612, बेली
रोड, पटना।
3. निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय:- निविदा प्रकाशित होने की तिथि से किसी कार्य
दिवस में दिनांक-23.03.2023 के 15:00 बजे तक।
4. निविदा के तकनीकी भाग को
खोलने की तिथि:- दिनांक-23.03.2023 को 16:00 बजे।
5. निविदा समर्पित करने का स्थान:- बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, सरदार पटेल भवन
'ई' ब्लॉक, छठी मंजिल, कमरा नम्बर-612, बेली
रोड, पटना।
6. अनुमानित राशि:- रू०-15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख) या उससे
अधिक।
7. मद का नाम:- वितंतु संगठन में खराब पड़े निम्नलिखित वितंतु
सेटों/सहायक उपकरणों की मरम्मत:-
(A) 100 watt HF CODAN SET (MODEL-NGTSR) -57 अदद
(B) CODAN-JUNCTION BOX-22 अदद
(C) CODAN HAND SET -50 अदद
(D) EPSON PRINTER-23 अदद
(E) CODAN DATA MODEM-08 अदद
(F) STABILIZER (06 KVA)-04 अदद
(G) ATUT/UNILINE UPS-08 अदद
(H) DELL CPU-02 अदद
(I) MICROTEK UPS-11 अदद
(J) DATA MODEM CABLE(DATA CODAN)-05 अदद

निविदा के नियम एवं शर्त

- (1) उपर वर्णित मदों के निर्माता फर्म या वितंतु सेटों के आपूर्तिकर्ता फर्म या वितंतु सेटों के आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा अधिकृत विक्रेता फर्म ही इस निविदा में भाग लेंगे। कायदेश के पहले बिहार वाणिज्य कर में निविदाकर्ता को निबंधन का प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (2) निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम-131अ के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण समर्पित करना होगा।

(क) तकनीकी भाग जिसमें निम्न वर्णित वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा।

(ख) वित्तीय भाग में, तकनीकी भाग में शामिल की गयी इकाईयों का इकाईवार मूल्य दर्शाया जायेगा।



(3) निविदा के तकनीकी भाग में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होने चाहिये:- (i) बिहार राज्य में जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र (ii) पैन नम्बर की छाया प्रति (iii) निर्माता फर्म होने या आपूर्तिकर्ता फर्म होने या आपूर्तिकर्ता के द्वारा अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (iv) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार किया गया निविदाकर्ता फर्म का वार्षिक ऑडिटेड रिपोर्ट एवं निविदा में भाग लेने वाले मद में कुल प्रस्तुतवावित खर्च का दुगना राशि का टर्न ओभर की छायाप्रति (v) निविदाकर्ता को निविदा के तकनीकी भाग के साथ अद्यतन मूल शपथ प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा जिसमें उल्लेख हो कि फर्म किसी भी सरकारी संस्था/अर्द्ध सरकारी संस्था एवं किसी प्राइवेट एजेन्सी द्वारा black listed/debarred नहीं है एवं उक्त शपथ पत्र में यह भी अंकित हो कि निविदाकर्ता फर्म पर कोई जालसाजी, धोखाधड़ी आदि का अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।(vi) निविदाकर्ता को निविदा में समर्पित की गयी वांछित अभिलेखों को सूचीबद्ध करना होगा।

निविदा के वित्तीय भाग में ही फर्म द्वारा प्रस्तावित मद की तकनीकी विवरणी वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा। दरों की वैधता 31 मार्च 2024 तक होगी। मदों की मरम्मत उपरान्त न्यूनतम गारंटी अवधि छः माह का होना चाहिए, जिसका उल्लेख निविदा में स्पष्ट रूप से निविदाकर्ता को करना होगा। निविदा के तकनीकी भाग को एक सील बंद लिफाफे में बंद कर निविदा सूचना संख्या एवं तकनीकी भाग आदि लिखना होगा।

(4) वित्तीय भाग में, तकनीकी भाग में शामिल की गई मदों का इकाईवार मरम्मत दर निम्नलिखित ढंग से अंकित करना होगा। (क) प्रस्तावित मद का इकाईवार मरम्मत दर (ख) देय जी0एस0टी0 (ग) कुल मरम्मत दर टैक्स सहित प्रत्येक सेट अर्थात कंडिका-7 के (A) से (J) तक में वर्णित सेटों के लिए अलग-अलग अंको एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा। इसमें किसी प्रकार का कटिंग/ओभर राइटिंग अनुमान्य नहीं होगा। वित्तीय भाग के निविदा को भी सील बंद लिफाफे में बंद कर उसपर निविदा सूचना संख्या एवं वित्तीय भाग अंकित करना होगा।

(5) तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अलग-अलग लिफाफों में सीलबंद होनी चाहिए एवं उनपर तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग अंकित होनी चाहिए। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर एवं सीलबंद कर, इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा सूचना की निविदा संख्या मात्र अंकित रहेगी। उसपर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम किसी भी हाल में अंकित नहीं करेंगे। फर्म के नाम इस लिफाफे को उपरोक्त अंकित तिथि एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। निविदा के तकनीकी भाग को दिनांक-23.03.2023 को 16:00 बजे समिति द्वारा खोला जायेगा एवं तदोपरान्त समीक्षा में तकनीकी निविदा में उपर वर्णित कंडिका-3 में वर्णित अभिलेख संलग्न रहने पर ही निविदा शर्त पूरा करते हुए माना जायेगा। तदोपरांत ही उनके वित्तीय भाग खोले जा सकेंगे। अन्यथा निविदा अयोग्य मानी जायेगी।

(6) इच्छुक निविदाकर्ता खराब सेटों की भौतिक एवं तकनीकी सर्वेक्षण पुलिस रेडियो भंडार कार्यालय, टी०एक्स०भवन, बेली रोड, पटना में अपने-अपने प्रतिनिधि भेज कर निविदा प्रकाशन के बाद किसी कार्य दिवस को करा सकते हैं।

(7) सेटों के मरम्मत में लगने वाले पार्ट-पूजा, परिवहन खर्च आदि का भुगतान निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा। इसके लिए अलग से कोई भी राशि देय नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान किया जायेगा। मरम्मत के पश्चात सेटों की वारंटी कम से कम छः महीने की होनी चाहिए। इस अवधि में सेट खराब होने पर फर्म को बिना किसी राशि के पुनः मरम्मत करना होगा।


(8) सेटों के मरम्मत के उपरांत तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा जब तक कि वितंतु संगठन की तकनीकी जाँच समिति इसे स्वीकार करने योग्य घोषित नहीं करती है।

(9) विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई मदों की तकनीकी जाँचोपरांत ठीक पाये जाने एवं स्वीकार करने के बाद ही प्रारंभ की जायेगी।

(10) यह आवश्यक नहीं कि सूची में अंकित सभी सेटों की मरम्मत करायी जाय। जब जितनी जिस मद को जितनी संख्या में आवश्यकता होगी मरम्मत करायी जायेगी।

पुलिस अधीक्षक (वितंतु), बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दें

उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदाताओं की निविदा को बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा।


23.2.23

पुलिस अधीक्षक(वितंतु),
बिहार, पटना।

e